INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP04022767085423V

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP04022767085423V
Certificate Issued Date	:	02-Sep-2023 04:19 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14506104/ JAUNPUR SADAR/ UP-JNP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1450610403689914175644V
Purchased by	:	PRABANDHAK DHARMA DEVI SEWA SAMITI JAUNPUR
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	PRABANDHAK DHARMA DEVI SEWA SAMITI JAUNPUR
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	PRABANDHAK DHARMA DEVI SEWA SAMITI JAUNPUR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते

NOTARIAL NOTARIAL

IN-UP04022767085423V

Please write or type below this line

(प्रारूप—''अ'')

सत्र 2023--2024 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्त के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूप

हम मलयवती यादव अध्यक्ष एवं विकास यादव सचिव क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव धर्मा देवी सेवा समिति, श्री कृष्णापुरम नईगंज जौनपुर शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते है –

1. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट धर्मा देवी सेवा समिति(सोसाइटी / ट्रस्ट) श्री कृष्णापुरम नईगंज जौनपुर द्वारा धर्मा देवी महाविद्यालय विलेज–बेलापार बक्सा जौनपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम धर्मा देवी सेवा समिति(सोसाइटी / ट्रस्ट) श्री कृष्णापुरम नईगंज जौनपुर बेलापार में गाटा सं0 916 / 2, 872, 873 एवं 848 रकबा क्रमशः 0.085, 0.502, 0.174, एवं 0.458 हेक्टेयर कुल रकबा 1.219 हे0 भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with CamScanner

4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 916/2, 872, 873 एवं 848 रकबा क्रमशः 0.085, 0.502, 0.174, एवं 0.458 हेक्टेयर कुल रकबा 1.219 हे0 भूमि पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 22.07.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्न गत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिमि के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनो पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्थान में फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठयक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठयक्रम में ही प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउंसिलिंग आफ इंडिया नई दिल्ली से अनुमोदित एव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एंव पाठयक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्या परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/ विद्यालय/महाविद्यालय/आई.टी.आई. का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लासरूम, प्रयोग शालाओं एंव कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउंसिलिंग आफ इंडिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानको के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एंव अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा संत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशो का भलिभाँति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलिय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरे निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है यदि दी गई जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी कुटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 सचिव

ह0 अध्यक्ष